

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 20 दिवस के कारावास व ₹1200 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु030सं0- 125/1995 धारा–25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरिप्रसाद उर्फ भूरा पुत्र बाबूराम कुम्हार नि0 बिरखेरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 20 दिवस के कारावास व ₹1200 के अर्थ दंड से दिण्डत किया गया।



एपीओ श्री अमर जायसवाल



विवेचक-उ0नि0 श्री सी0पी0 सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 श्रीकान्त राजपूत